अखिल भारतीय पंचायत परिषद

का

संविधान

(अब तक किए गए संशोधनों सहित अर्थात मई, 1961 में परिषद के तृतीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त संविधान समिति द्वारा किये गये प्रथम संशोधनों से लेकर 16 नवम्बर, 1990 को कार्य समिति द्वारा, अखिल भारतीय पंचायत महासमिति द्वारा 17 नवम्बर, 1990 को तथा अखिल भारतीय पंचायत परिषद के 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन में 22 नवम्बर, 2006 को किए गए संशोधनों सहित)

अखिल भारतीय पंचायत परिषद

बलवंतराय मेहता पंचायत भवन,

पंचायत धाम, मयूर विहार फेज–1

दिल्ली– 110091

अखिल भारतीय पंचायत परिषद का संविधान

अनुच्छेद 1

(1) नाम– इस संगठन का नाम ''अखिल भारतीय पंचायत परिषद '' होगा, जिसको एतद्पश्चात् अ0 भा0 पं0 प0 कहा गया है।

(2) राजनीति–निरपेक्ष तथा दल– निरपेक्ष संगठन – अ0 भा0 पं0 प0 एक राजानीति–निरपेक्ष तथा दल निरपेक्ष संगठन होगा जो पंचायत, नगर–पालिका, नगर–निगम, केन्द्रीय संसद तथा राज्य विधान सभा इत्यादि किसी भी वैधानिक संस्था के निर्वाचन में एक दल के रूप में भाग नहीं लेगा।

(3) मुख्य कार्यालय – (अ) अ0 भा0 पं0 प0 का मुख्य कार्यालय दिल्ली अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान में रहेगा जिसका निश्चय समय–समय पर अ0 भा0 पं0 प0 की कार्यसमिति करे।

(आ) अखिल भारतीय पंचायत परिषद का कार्य क्षेत्र भारतीय गणराज्य की सीमाओं तक विस्तीर्ण होगा।

(4) लक्ष्य तथा उद्देश्य – अ0 भा0 पं0 प0 के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

(अ) देश भर की (ग्राम, प्रखण्ड तथा जिले के स्तर पर स्थापित) पंचायती राज संस्थाओं को एक सर्वमान्य विचार स्थल पर समवेत करना जिससे कि वे :

(क) पारस्परिक सहयोग द्वारा शक्ति का संचय कर सकें और प्रजातंत्र तथा राष्ट्रीय उन्नयन की सार्थक माध्यम सिद्ध हो सके:

(ख) सर्वमान्य समस्याओं के समाधान के लिए तथा सर्वमान्य उद्देश्यों की ओर अग्रसर होने के लिए मिलकर विचार – विनिमय कर सके :

(ग) एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हो सकें, और

(घ) परस्पर पृथक रहने के परिणाम स्वरूप संकीर्ण बन जाने की अपेक्षा एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास कर सके :

(आ) पंचायतीराज के प्रसंग में जनमत को शिक्षित करना जिसके फलस्वरूप स्वायत शासन की प्रक्रिया में जनता का अधिकारिक सहयोग बढ़े :

(इ) ग्रामीण समाज में सामुदायिक हित, स्वावलम्बन तथा पारस्परिक सहायता की भावना का विकास करना :

(ई) पंचायती राज के कर्मचारियों में सम्पूर्ण समाज के प्रति साधारणतया तथा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के प्रति विशेषतया उत्तरदायित्व की समुचित भावना को जगाना :

(उ) (क) पंचायती राज से सम्बद्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इसके लिए प्रशिक्षणालय अथवा प्रतिष्ठान स्थापित या संचालित करना :

(ख) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, शिक्षण संस्थाओं तथा स्वैच्छित संगठनों के साथ सहयोग करना :

(ऊ) पंचायती राज से सम्बंधित विषयों पर विशेषतया, तथा ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर साधारणतया, अध्ययन तथा शोध का प्रबन्ध करना।

(ए) सर्वेक्षण, मूल्यांकन परियोजनाएं तथा क्षेत्रीय अन्वेषण की योजनाएं चलाना,

(ऐ) पुस्तकें पुस्तिकायें, पत्र–पत्रिकायें इत्यादि निर्मित करना तथा प्रकाशित करना

(ओ) उपर्युक्त, उद्देश्यों में से किसी एक, अनेक अथवा समस्त की पूर्ति के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, शिक्षण संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ सहयोग करना और

(औ) वे सब अन्य कार्य करना जो अ0 भा0 पं0 प0 के उद्देश्यों को अग्रसर तथा पूर्ण करने के लिए आवश्यक हों।

(अं) ग्रामीण विकास के कार्यक्रम जैसे बाल कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण, वृद्ध कल्याण, ग्रामीण स्वच्छता, पर्यावरण सुधार, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, सर्वहारा विकास, पंचायत उद्योग, लोक संस्कृति विकास आदि अन्य गतिविधियां संचालित करना।

अनुच्छेद 2

(1) अ0 भा0 पं0 प0 की संरचना – अ0 भा0 पं0 प0 के निम्नलिखित अंग होंगे :

(अ) अ0 भा0 पं0 प0 की साधारण सभा,

(आ) अखिल भारतीय पंचायत परिषद की महासमिति जिसको एतदपश्चात् अ0 भा0 पं0 महा0 कहा गया है,

(इ) अ0 भा0 पं0 प0 की कार्य समिति जिसको एतद्पश्चात कार्यसमिति कहा गया है,

(ई) वे राज्य पंचायत परिषदें तथा राज्य पंचायत संघ जो अ0 भा0 पं0 प0 की सदस्य संस्थाएं स्वीकार कर ली गयी हैं, इन संस्थाओं को एतद्पश्चात क्रमशः रा0 पं0 प0, रा0 पं0 सं0 कहा गया है,

(उ) पंचायतों के अन्य संघीय संगठन जो किसी राज्य अथवा केन्द्र– प्रशासित क्षेत्र में स्थापित हुए हैं और जिनको अ0 भा0 पं0 प0 की सदस्य संस्थाएॅं स्वीकार कर लिया गया है, तथा

(ऊ) वे ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियॉं, जिला परिषदें तथवा इसी प्रकार की अन्य पंचायती राज संस्थाएं, भले ही वे किसी नाम से सम्बोधित की जाएं, तथा नगरों में स्थापित समतुल्य पंचायती राज संस्थायें जिनको अनुवर्ती खण्ड के अन्तर्गत अस्थायी सदस्य संस्थायें स्वीकार कर लिया गया है।

(2) <u>अ0 भा0 पं0 प0 की सदस्यता</u> – उन सहवरित सदस्यों के अतिरिक्त जिनका इस विधान में प्रावधान है, अ0 भा0 पं0 प0 केवल संस्थाओं को ही अपना सदस्य बनाएगी जो निम्नलिखित प्रकार के होंगे :

(अ) कोई भी रा0 पं0 प0 अथवा रा0 पं0 सं0 अथवा अन्य प्रकार का संघीय पंचायती संगठन, जिसकी स्थापना किसी प्रदेश अथवा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में हो चकी हो और जिसके उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा संविधान का निरीक्षण करके कार्य समिति उनको अ0 भा0 पं0 प0 के उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा संविधान के अनुकूल समझे, अ0 भा0 पं0 प0 के सदस्य के रूप में स्वीकार की जा सकेगी बशर्ते की ऐसे संगठन के साथ उस राज्य से कम से कम 51 प्रतिशत जिला परिषदों, कम से कम 30 प्रतिशत पंचायत समितियों तथा कम से कम 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की सम्बद्धता हो।

(आ) कोई भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् या ऐसे ही पंचायती राज संगठन, वे चाहे जिस नाम से सम्बोधित किये जाते हों, जो ऐसे राज्य अथवा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में स्थित है जहां अभी तक पंचायतों का कोई संघीय संगठन उपर के

स्तर पर नहीं बन पाया है, अ0 भा0 पं0 प0 के सदस्य के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। इसे इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया जायेगा कि अ0 भा0 पं0 प0 में उसका मत देने का अधिकार उस समय समाप्त हो जायेगा, जब वह किसी ऐसे संघीय संगठन का सदस्य बने, जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अ0 भा0 पं0 प0 का सदस्य स्वीकार कर लिया गया है। ऐसा सदस्य इसके बाद सह–सदस्य कहलायेगा।

(इ) कोई भी पंचायती संस्था जिसकी स्थापना स्थानीय निवासियों की स्वेच्छा से अथवा भविष्य में लागू होने वाले किसी विधान के अनुसार, किसी नागरिक क्षेत्र के म्युनीसिपल वार्ड, में हुई है, अ0 भा0 पं0 प0 के सदस्य के रूप में उसी प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार की जा सकेगी जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती उपखण्ड में किया जा चुका है।

(3) <u>अ0 भा0 पं0 प0 को देय सम्बद्धता शुल्क</u>

(अ) रा0 पं0 प0, रा0 पं0 सं0 तथा पंचायतों के अन्य संघीय संगठनों द्वारा जो सम्बद्धता शुल्क प्रति वर्ष देय है वह रा0 पं0 प0 अथवा रा0 पं0 सं0 अथवा संघीय संगठन को प्राप्त सम्बद्धता शुल्क की कुल धनराशि का 20 प्रतिशत होगा किन्तु वार्षिक शुल्क की न्यूनतम धनराशि 5000/– रूपये होगी।

(आ) जिन राज्यों में पंचायत परिषद क राज्य स्तरीय संगठन नहीं है वहां राज्य पंचायत परिषद की तदर्थ समिति का गठन अखिल भारतीय पंचायत परिषद के द्वारा किया जाये । इन संस्थाओं द्वारा देय शुल्क निम्नलिखित होगा :

(क) ग्राम पंचायतें अथवा उनके समतुल्य नागरिक पंचाती राज संस्थाओं के लिए 100/– रू0 ।

(ख) पंचायत समितियों अथवा इसके समतुल्य नागरिक पंचायतीराज संस्थाओं के लिए 500/– रू0 ।

(ग) जिला परिषदों अथवा इनके समतुल्य नागरिक पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2000/– रू0 ।

(4) <u>सदस्यता से वंचित किया जाना :</u>

(अ) कोई सम्बद्ध संस्था यदि अपना वार्षिक शुल्क नहीं देती और कार्य समिति द्वारा उसे छूट नहीं दी जाती तो उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी।

(आ) यदि कोई सम्बद्ध संस्था अ0 भा0 पं0 प0 के निर्णयों या नीतियों के विपरीत कार्य करे तो कार्य समिति उसके अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त कर देगी।

(इ) अखिल भारतीय पंचायत परिषद उपखण्ड (अ) में वर्णित सदस्य को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 2 माह पूर्व इस आशय की पंजीकृत सूचना देगी कि यदि उक्त संस्था वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन माह के अन्दर अपना सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करती तो उसकी सदस्यता अगले वर्ष 3 महीने मुहलत की अवधि पूरी होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(ई) यदि किसी पदाधिकारी या कार्य समिति के सदस्य या महासमिति के सदस्य के क्रियाकलाप परिषद के लिए विघटनकारी या हानिप्रद हों और कार्यसमिति उसके विरूद्ध सदस्यता समाप्त करने का निर्णय ले ले या पदच्यूत करने की सिफारिश करे तो अध्यक्ष को इस निर्णय पर कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 3

(1) <u>अ0 भा0 पं0 प0 की साधारण सभा की संरचना</u> – अ0 भा0 पं0 प0 की साधारण सभा के निम्नलिखित अंग होंगे :

(अ) (क) रा0 पं0 प0 तथा रा0 पं0 सं0 तथा पंचायतों के अन्य संघीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडल, जिनमें राज्य अथवा क्षेत्र के प्रत्येक जिले के दस प्रतिनिधि होंगें। इन दस प्रतिनिधियों में से चार ग्राम –पंचायतों के प्रतिनिधि होंगे, दो पंचायत समितियों के दो जिला परिषदों का और दो राज्य पंचायत परिषद अथवा राज्य पंचायत यूनियन का। राज्य पंचायत परिषद, राज्य पंचायत यूनियन उन्हें ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत करेंगी जो पंचायती राज में रूचि रखते हों। यदि सम्बद्ध राज्य पंचायत परिषद अथवा राज्य पंचायत यूनियन, अखिल भारतीय पंचायत

परिषद की साधारण सभा की बैठक के 30 दिन पहले ऐसे प्रतिनिधियों के नामों की सूचना ना दें, तो कार्य समिति उन प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकती है।

(ख) अनुच्छेद 2 के खण्ड 2 (आ) के अन्तर्गत सह सदस्य।

(ग) जहां पर केवल एक स्तरीय व्यवस्था अर्थात् ग्राम पंचायतें ही हैं, वहां पांच प्रतिनिधि ग्राम पंचायतों के ही होंगे।

(घ) जहां द्वि–स्तरीय व्यवस्था है, वहां से छः प्रतिनिधि ग्राम पंचायतों से तथा चार उच्च स्तर के होंगे। परन्तु यह कि उन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, जिन के विषय में कार्य समिति की विशेष अनुमति प्राप्त कर ली गई है, ये समस्त प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं के होंगे।

(आ)जहां पर राज्य स्तर का संगठन नहीं है, वहां अन्य प्रकार की सब पंचायती संस्थायें सधारण सभा के अधिवेशन के अवसर पर अ0 भा0 पं0 प0 के सदस्य हैं, अपना एक–एक प्रतिनिधि भेजेंगी। इन प्रतिनिधियों के विषय में भी वही प्रतिबन्ध लागू होगा जे अनुधारा (अ) के अन्तर्गत आने वाले प्रतिनिधियों पर लागू होता है।

(इ) अ0 भा0 पं0 महा0 के समस्त सदस्य।

(2) <u>साधारण सभा का अधिवेशन</u>

(अ) अ0 भा0 पं0 प0 की साधारण सभा का अधिवेशन सामान्यतया प्रति वर्ष होगा। अधिवेशन के समय तथा स्थान का निश्चय कार्यसमिति करेगी। किन्तु यदि दो अधिवेशनों के मध्यवर्ती काल में किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत हो जाएं तो कार्य समिति अथवा अ0 भा0 पं0 महा0 के निर्णय से साधारण सभा का एक विशेष अधिवेशन किसी समय भी आहूत हो सकता है। विशेष अधिवेशन उसी प्रकार की सम्यक् सूचना समस्त सदस्यों को भेजी जाएगी, जैसे कि साधारण सभा के सामान्य अधिवेशन के लिए तत्सम्बंधी नियमों के अनुसार भेजी जाती है।

(आ) साधारण सभा के अधिवेशनों के अवसरों पर अ0 भा0 पं0 महा0 विषय – समिति का रूप धारण करेगी और प्रत्येक अधिवेशन के पूर्व अपने अध्यक्ष के सभापतित्व में

एक बैठक करके उन प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करेगी जो कि साधारण सभा के अधिवेशन में प्रस्तुत होने वाले हैं। साधारण सभा का अधिवेशन केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करेगा जो कि विषय– समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए हों।

(इ) साधारण सभा का अधिवेशन उन नीतियों को निर्दिष्ट करेगा जो कि अ0 भा0 पं0 महा0 तथा कार्यसमिति द्वारा साधारण सभा के आगामी अधिवेशन तक अनुवर्तित तथा कार्यान्वित होनी चाहिए।

(3) प्रतिनिधि शुल्क

इसके पूर्व कि किसी प्रतिनिधि को साधारण सभा के अधिवेशन में भाग लेने का अधिकारी स्वीकार किया जाए, उस प्रतिनिधि को साधारण सभा का प्रतिनिधि बनाने के लिए प्रतिनिधि शुल्क के रूप में 100 रूपये अधिवेषन में भाग लेने के पूर्व देने होंगे।

(4) साधारण सभा के अधिवेशन की स्वागत– समिति

(अ) जिस रा0 पं0 प0 अथवा रा0 पं0 सं0 के क्षेत्र में साधारण सभा का अधिवेशन होगा वह एक स्वागत–समिति का गठन करेगी जो कि अधिवेशन के बारे में सब प्रकार का प्रबन्ध करेगी। यह स्वागत– समिति उपरोक्त राज्य पंचायत परिषद अथवा राज्य पंचायत संघ की देख–रेख में ही अपना कार्य सम्पन्न करेगी। अ0 भा0 पं0 प0 के अध्यक्ष स्वागत समिति की कार्य समिति में दो व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे।

(आ)साधारण सभा के अधिवेशन के लिए पर्याप्त कोष का संग्रह स्वागत समिति करेगी और प्रतिनिधियों तथा दर्शकों के स्वागत तथा निवास का समस्त प्रबन्ध भी वह समिति ही सम्यक प्रकार से संभालेगी।

अनुच्छेद 4

(1) अ0 भा0 पं0 महा0 की संरचना – अ0 भा0 पं0 महा0 के अंग निम्नानुसार होंगे :

(अ) अ0 भा0 पं0 प0 के अध्यक्ष

(आ) अ0 भा0 पं0 प0 के भूतपूर्व अध्यक्ष जो अपनी पदावधि पूरी कर चुके हों,

(इ) रा0 पं0 प0 तथा रा0 पं0 सं0 एवं अन्य संघीय संगठनों के अध्यक्ष,

(ई) उन रा0 पं0 प0 तथा रा0 पं0 सं0 तथा अन्य संघीय पंचायती संगठनों के प्रतिनिधि जिनका निर्वाचन एवं मनोनयन उन संगठनों के सदस्यों में से किया गया है जिनकी न्यूनतम संख्या 5 अथवा उपरोक्त रा0 पं0 प0 अथवा रा0 पं0 सं0 अथवा संघीय पंचायती राज संगठन उस राज्य के प्रत्येक जिले के आधार पर सदस्य (प्रत्येक जिले के आधार पर सदस्य का अर्थ है जितने जिले उतने ही सदस्य) अ0 भा0 पं0 महासमिति में होंगे।

(उ) (क)वे व्यक्ति जो पंचायती कार्यक्रमों में अभिरूचि रखते हैं और जिनको कार्य समिति ने सहवरित किया है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या अ0 भा0 पं0 महा0 की पूर्ण सदस्य–संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, उनमें से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूसचित जाति अथवा जन जाति का होना चाहिए तथा न्यूनतम एक महिला सदस्य होनी चाहिए यदि वह निर्वाचित रूप में न हो।

टिप्पणी : परन्तु यह कि अखिल भारतीय पंचायत महासमिति के केवल वही सदस्य बन सकेंगे जो भारत के नागरिक हों अथवा उनका नाम ग्राम सभा की मतदाता सूची में हो, अन्यथा वे केवल सहयोगी सदस्य रहेंगे और वे परिषद के चुनावों में मतदान करने व परिषद के पदाधिकारी बनने के अधिकार से वंचित रहेंगे।

(ख) जिन प्रदेशों में रा0 पं0 प0 का संगठन नहीं हो पाया है अथवा वे संविधान के अनुच्छेद 2 खण्ड (4) के अनुसार समाप्त कर दी गई हों, उन स्थानों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए कार्य समिति वहां से उपयुक्त व्यक्तियों का सहवरण करेगी।

(ग) जब कोई प्रतिनिधि अखिल भारतीय पंचायत परिषद की साधारण सभा का सदस्य न रहे तो कार्य समिति को यह अधिकार होगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सम्बद्ध राज्य पंचायत परिषद अथवा राज्य पंचायत संघ को एक माह का समय दें और यदि निर्धारित अवधि में इसकी पूर्ति न हो तो कार्य समिति उक्त राज्य पंचायत परिषद अथवा राज्य पंचायत संघ के सदस्यों में से उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति कर लें।

(2) <u>सदस्यता शुल्क</u>

(अ) अ0 भा0 पं0 महा0 का प्रत्येक सदस्य वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में पांच सौ रूपये देगा। प्रत्येक सदस्य को अ0 भा0 पं0 प0 के महामंत्री की ओर से उनकी सदस्यता की पुष्टि स्वरूप एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिस पर महामंत्री क हस्ताक्षर होंगे। सदस्यता शुल्क दिये बिना कोई भी सदस्य अ0 भा0 पं0 महा0 अथवा विषय समिति अथवा साधारण सभा के किसी अधिवेशन में भाग नहीं ले सकेगा। सदस्य यदि लगातार 2 वर्ष तक अपना सदस्यता शुल्क न दे और कार्य समिति ने इसके लिए उसे छूट न दी हो तो सदस्य की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी।

(आ) अखिल भारतीय पंचायत परिषद्, ऐसे बाकी सदस्यों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से दो माह पहले इस आशय का पंजीकृत सूचना देगी कि यदि उक्त सदस्य, वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद तीन माह के अन्दर अपना सदस्यता शुल्क जमा नहीं करेगा तो उस अवधि के बादउसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जायेगी।

(3) <u>अ0 भा0 पं0 महा0 का कार्यकाल</u> – अ0 भा0 पं0 महा0 का कार्य–काल पांच वर्ष का होगा।

(4) <u>अ0 भा0 पं0 महा0 की बैठकें :</u>

(अ) अ0 भा0 पं0 महा0 की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार या उतनी बार होगी जितनी बार कार्य समिति चाहेगी। बैठक के समय तथा स्थान का निश्चय भी कार्य समिति करेगी, अथवा अ0 भा0 पं0 प0 की कार्य समिति के कम से कम 10 और अ0 भा0 पं0 महा0 के कम से कम 20 सदस्यों द्वारा कार्य समिति को संबोधित एक समवेत अभ्यर्थना के प्राप्त होने पर बैठक बुलायी जाएगी। इस अभ्यर्थना में अभ्यर्थियों की ओर से बैठक के बुलाए जाने के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। किन्तु कार्य समिति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी अन्य कार्यक्रम ऐसी अभ्यर्थित बैठक में प्रस्तुत कर सकेगी। अभ्यर्थित बैठक अभ्यर्थना प्राप्त होने के दो मास के भीतर– भीतर होनी चाहिए।

(आ) अ0 भा0 पं0 महा0 के प्रत्येक सदस्य को अ0 भा0 पं0 महा0 की किसी भी बैठक की सूचना कम से कम 21 दिन पूर्व अवश्य दी जानी चाहिए।

(इ) अ0 भा0 पं0 महा0 के समस्त सदस्यों की संख्या के दसवें भाग के उपस्थित रहने पर अ0 भा0 पं0 महा0 की बैठक की गणपूर्ति मान ली जाएगी। किन्तु स्थगित बैठक के लिए विहित गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ई) अखिल भारतीय पंचायत परिषद की महासमिति का जो सदस्य उसकी लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहेगा, उसे इस आशय का पंजीबद्ध नोटिस दिया जाएगा कि यदि वह अध्यक्ष अ0 भा0 पं0 प0 की अनुमति के बिना अगली बैठक में अनुपस्थित रहा तो, अ0 भा0 पं0 महा0 में उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

(5) <u>अ0 भा0 पं0 महा0 की बैठक का कार्यक्रम</u> – अ0 भा0 पं0 महा0 की किसी भी बैठक का कार्यक्रम निम्नलिखित होगा :

(अ) महामंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन स्वीकार करना,

(आ) लेखों और वार्षिक बजट का अनुमोदन करना,

(इ) आवश्यकता के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन करना,

(ई) अंकेक्षकों की नियुक्ति अथवा पुष्टि करना,

(उ) अन्य वे सब कार्य करना जिनका समावेश उस बैठक की सूचना पत्र में हुआ हो।

(6) <u>अ0 भा0 पं0 महा0 के अधिकार तथा कर्तव्य :</u>

(अ) अ0 भा0 पं0 प0 के समस्त कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अ0 भा0 पं0 महा0 को ऐसे नियम बनाने का अधिकार होगा जो इस संविधान से असंगत हों। ये नियम कार्य समिति के ऊपर बाध्यकारी होंगे।

(आ)अ0 भा0 पं0 प0 की उन्नति और उसके सुचारू संचालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी विषय के अन्वेषण, सर्वेक्षण अथवा परीक्षण करने के लिए अ0 भा0 पं0 महा0 को यह अधिकार होगा कि वह अपने सदस्यों में से समितियों का गठन करे।

(इ) साधारण सभा के अधिवेशन द्वारा निर्दिष्ट नीतियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित

करने का प्रबन्ध अ0 भा0 पं0 महा0 करेगी और उसको अपने कार्य–काल में उपस्थित होने वाली किसी भी समस्याा अथवा स्थिति का समाधान करने का अधिकार होगा।

(ई) अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्षा का त्याग पत्र स्वीकार करना।

(7) अ0 भा0 पं0 महा0 के पदाधिकारी :

(अ) अखिल भारतीय पंचायत परिषद महासमिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्यों का निर्वाचन करेगी जो अ0 भा0 पं0 परिषद के अध्यक्ष एवं कार्य–समिति के सदस्य होंगे।

(आ) अध्यक्ष अ0 भा0 पं0 महा0 के सदस्यों में से छः उपाध्यक्ष (छः अंचलों में से प्रत्येक में एक), एक या एक से अधिक महामन्त्री, मंत्री तथा एक कोषध्यक्ष नियुक्त करेंगे। ये समस्त पदाधिकारी अ0 भा0 पं0 महा0 के समतुल्य पदों पर भी आरूढ़ होंगे।

(इ) अध्यक्ष आवश्यक समझे तोा उपाध्यक्षों में से कार्यकारी अध्यक्ष को मनोनीत कर स्कते हैं।

विवरण – उपरोक्त छः अंचल निम्नलिखित होंगे :

(क) उत्तरीय अंचल – पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़।

(ख) केन्द्रीय अंचल – उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ।

(ग) पूर्वोत्तर अंचल – मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम,अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय ।

(घ) पूर्वी अंचल – पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अंडमान निकोबार ।

(ङ) पश्चिमी अंचल – गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ दमनदीव और दादर नगर हवेली।

(च) दक्षणीय अंचल – आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पांडीचेरी और लक्ष्य द्वीप समूह ।

(ई) अध्यक्ष तथा अ0 भा0 पं0 महा0 के अन्य समस्त पदाधिकारी पांच वर्ष तक पदारूढ़ रहेंगे।

अनुच्छेद – 5

(1) कार्य समिति का गठन तथा कार्यकाल :

(अ) (क) अध्यक्ष सहित कार्य समिति के 31 सदस्य होंगे। इनमें 10 सदस्य महासमिति द्वारा निर्वाचित तथा 20 सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे। मनोनीत सदस्यों में से महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक तथा ग्रामीण युवा संगठनों के प्रतिनिधियों का समावेश किया जाएगा।

(ख) कार्य समिति में जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हो वहां की सम्बद्ध राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि 31 के अतिरिक्त पदेन सदस्य होंगे।

(ग) अ0 भा0 पं0 प0 के समस्त पदाधिकारी भी 31 के अतिरिक्त पदेन सदस्य होंगे।

(आ) कार्य समिति की बैठक में सारे सदस्यों की एक तिहाई संख्या उपस्थित होने पर गणपूर्ति मान ली जायेगी, किन्तु स्थगित की गई बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(इ) कार्य समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

(ई) यदि कार्य समिति का कोई सदस्य उसकी दो बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उसे इस आशय का पंजीबद्ध नोटिस दिया जायेगा कि यदि वह अगली बैठक में बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के अथवा बिना अध्यक्ष अ0 भा0 पं0 प0 की अनुमति के अनुपस्थित रहा तो कार्यसमिति में उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(2) कार्य समिति के अधिकार तथा कर्तव्य :

(अ) कार्य समिति, अ0 भा0 पं0 प0 की उच्चतम कार्य– संचालक प्राधिकारी होगी तथा अ0भा0 पं0 प0 और अ0 भा0 पं0 महा0 द्वारा निर्दिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का भार संभालेगी।

(आ) कार्य समिति अ0 भा0 पं0 महा0के प्रति उत्तरदायी होगी। इस संविधान के अन्तर्गत समस्त उपबंधों को लागू करने तथा उपबन्धों की व्याख्या प्रस्तुत करने का अन्तिम अधिकार कार्य–समिति कोा होगा।

(इ) अ0 भा0 पं0 महा0 प्रत्येक बैठक में अ0 भा0 पं0 महा0 की गत बैठक की कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्य समिति प्रस्तुत करेगी और वह नई बैठक के लिए कार्य सूची प्रस्तुत करेगी तथा उन गैर सरकारी प्रस्तावों के लिए समय आवंटित करेगी जो अ0 भा0 पं0 महा0 के अन्य सदस्यों की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं और जिनके विषय में विहित नियमों के अनुसार उचित सूचना प्राप्त हो चुकी है।

(ई) कार्यसमिति के अधिकार निम्नलिखित होंगे :

(क) वार्षिक बजट तैयार करना, इस संविधान के सुचारू संचालन के लिए नियम बनाना। ये नियम अ0 भा0 पं0 महा0 की सूचना के लिए यथाशीघ्र अ0 भा0 पं0 महा0 के सामने रखे जायेंगे :

(ख) समस्त रा0 पं0 प0 तथा रा0 पं0 सं0 तथा अन्य सदस्य संस्थाओं का, जिनमें साधारण सभा के अधिवेशन के अवसर पर बनाई गई स्वागत समिति भी सम्मिलित है, पथ प्रदर्शन करना, उनका निर्देशन करना तथा उनका पर्यवेक्षण करना,

(ग) किसी भी सदस्य संस्था के विरूद्ध यथाचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करना तथा सदस्यों को सदस्यता से वंचित करना। किन्तु यह कार्यवाही अ0 भा0 पं0 महा0 की अगली बैठक में अनुमोदित होनी चाहिए।

(घ) अ0 भा0 पं0 प0 के कोष से होने वाले आय– व्यय का विवरण रखना तथा किसी

भी ऐसे विशिष्ट कोष को संभालना जो किसी विशेष कार्यक्रम अथवा उद्देश्य की पूर्ति के लिए अ0 भा0 पं0 प0 को प्राप्त हुआ हो,

(ड़) अ0 भा0 पं0 प0 की समस्त सम्पत्तियों को संभालने के लिए आवश्यकतानुसार न्यास मंडल नियुक्त करना,

(च) अ0 भा0 पं0 प0 की ओर से सम्पत्ति को वसीयत, दान तथा हतान्तरण के रूप में स्वीकार करना।

(छ) अ0 भा0 पं0 प0 की ओर से किए जाने वाले संविदाओं को स्वीकार करना, परिवर्तित करना, कार्यान्वित करना तथा उनकी पुष्टि अथवा उनको अस्वीकृत करना

(ज) अ0 भा0 पं0 प0 के उस कोष को जो इसे सौंपा गयाा है, विनियुक्त

(झ) अ0 भा0 पं0 प0 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उधार लेना, ऋण लेना अथवा ऋण के भुगतान का प्रबन्ध करना,

(यं) अ0 भा0 पं0 महा0 की अनुमति से अ0भा0पं0 परिषद की किसी भी ऐसी सम्पत्ति का, जिसका प्रबन्ध इसके हाथ में है, बिक्री अथवा बंधक द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करना,

(ट) अ0भा0पं0प0 की ओर से संलेखों तथा अधिकार–पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसी पदाधिकारी को देना,

(ठ) किसी भी विशेष परिस्थिति में अ0 भा0 पं0 प0 के हितों के संरक्षण के लिए उचित कार्यवाही करना, परन्तु यह कि यदि की गई कोई कार्यवाही कार्य समिति के उन अधिकारों के बाहर है, जो कि इस संविधान में निर्धारित किये गये हैं, तो उसकी पुष्टि के लिए अ0 भा0 पं0 महा0 को यथाशीघ्र सूचित करना।

(ड) अखिल भारतीय पंचायत परिषद की महासमिति के सदस्यों के दस प्रतिशत सदस्यों का सहवरण करना।

(ढ) अखिल भारतीय पंचायत परिषद और ऐसी राज्य पंचायत परिषद तथा पंचायत संघों के निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन प्रभारी की

नियुक्ति करना जहां वे निर्वाचन द्वारा गठित नहीं की गयी है तथा जिन रा0 पं0 प0 तथा रा0 पं0 सं0 में वे निर्वाचन द्वारा गठित की गई हैं उनके चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कराना अखिल भारतीय पंचायत परिषद के निर्वाचन नियमावली के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न कराया जाना।

(ण) परिषद के कार्य संचालन हेतु आवश्यक नियम उपनियम बनाना।

(3) पदाधिकारियों के कर्तव्य :

(अ) अध्यक्ष

(क) अ0 भा0 पं0 प0 के अध्यक्ष साधारण सभा के अधिवेशनों तथा अ0 भा0 पं0 महा0 और कार्य समिति की बैठकों का सभापतित्व करेंगे। अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में एक उपाध्यक्ष उनका स्थान ग्रहण करेंगे।

(ख) अध्यक्ष अ0 भा0 पं0 महा0 के कार्य का संचालन करने के लिए एक अथवा अधिक उपाध्यक्ष, महामंत्री अथवा मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ये महामंत्री अ0 भा0 पं0 प0 के भी महामंत्री होंगे।

(ग) अध्यक्ष उपाध्यक्षों, महामंत्रियों, मंत्रियों के बीच कृत्यों का आबंटन करेगा और कार्य संचालन की सुविधा एवं प्रगति के लिए निम्न स्थाई समितियों का गठन करेंगे। (1) प्रशासन समिति, (2) वित्त समिति, (3) शिक्षण –प्रशिक्षण आयोजना समिति, (4) भवन व संसाधन समिति, (5) प्रचार, प्रसार व प्रकाशन समिति आदि।

(आ) कार्य संचालन के लिए अध्यक्ष द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :

(क) साधारण सभा के अधिवेशन तथा अ0 भा0 पं0 महा0 और कार्यसमिति की बैठकों में होने वाली कार्यवाही का विवरण रखना,

(ख) अ0 भा0 पं0 महा0 के सदस्यों की नामावली तथाा उन सदस्यों के सम्बंध में

अन्य प्रकार का विवरण रखना,

(ग) अ0 भा0 पं0 प0 की ओर से पत्र–व्यवहार करना तथा अ0 भा0 पं0 प0 के समस्त कागज–पत्रों और फाइलों का अपने संरक्षण में रखना,

(घ) अ0 भा0 पं0 प0 के मुख्य कार्यालय में होने वाले काम की देख–रेख करना तथा उस कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों को अपने अनुशासन में रखना,

(ड़) आय–व्यय विवरण को नियमित रू‍ से रखना तथा अ0 भा0 पं0 प0 के आय–व्यय विवरण को तैयार करके साधारण सभा, अ0 भा0 पं0 महा0 और कार्य–समिति के समक्ष प्रस्तुत करना,

(च) समय–समय पर संस्था की प्रगति के विषय में प्रतिवेदन बजट तैयार करके साधारण सभा तथा अखिल भारतीय पंचायत महासमिति तथा कार्यसमिति के सामने रखना,

(छ) अ0 भा0 पं0 महा0 तथा कार्यसमिति द्वारा अ0 भा0 पं0 प0 के काम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तय किए गए कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित करना।

(इ) <u>कोषाध्यक्ष</u>

कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद के लिए धनराशि संग्रहित करने के उत्तरदायी होंगे।

<u>अनुच्छेद 6</u>

<u>कर्तव्य तथा अधिकारों का प्रत्यायोजन :</u>

(1) साधारण सभा अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों में से एक अथवा समस्त का प्रत्यायोजन अ0 भा0 पं0 महा0 अथवा कार्यसमिति अथवा अध्यक्ष को कर सकती है।

(2) अ0 भा0 पं0 महा0 अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों में से एक अथवा समस्त का प्रत्यायोजन कार्यसमिति अथवा अध्यक्ष को कर सकती है।

(3) कार्यसमिति अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों में से एक अथवा समस्त का प्रत्यायोजन किसी उप–समिति अथवा अध्यक्ष अथवा महामंत्री को कर सकती है।

(4) अध्यक्ष अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों में से एक अथवा समस्त का प्रत्यायोजन किसी उपाध्यक्ष, महामंत्री अथवा मंत्री को कर सकते हैं।

(5) उपाध्यक्ष महामंत्री व मंत्री अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों में से एक अथवा समस्त का प्रत्यायोजन कर सकते हैं।

अनुच्छेद 7

रिक्त स्थानों की पूर्ति :

(1) अ0 भा0 पं0 महा0 अथवा कार्य समिति के किसी सदस्य का पद अथवा इस संविधान के अन्तर्गत गठित किसी समिति के सदस्य का पद अथवा निर्वाचित पदाधिकारी का पद, त्याग पत्र अथवा पदच्युति अथवा मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त होगा।

(2) किसी भी अंतरिम रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए मनोनीत करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

(3) किसी भी कारण से समयावधि से पूर्व अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो समस्त पदाधिकारी एवं पूरी कार्यसमिति शेष अवधि के लिए यथावत कार्य करती रहेगी और कार्यकारी अध्यक्ष ही अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तथा अवधि समाप्ति के छः मास के अन्दर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष एवं कार्य समिति का चुनाव करा दिया जाना आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 8

कोष तथा सम्पत्ति

(1) अ0 भा0 पं0 प0 अपने कोष का संग्रह निम्नलिखित प्रकार से करेगी :

(अ) सदस्यता शुल्क, सम्बद्धता शुल्क और प्रतिनिधि शुल्क द्वारा

(आ) गैर सदस्यों, सरकारों तथा सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से प्राप्त अनुदानों, चन्दों तथा दानों के द्वारा,

(इ) सेवा– कार्यों के लिए प्राप्त शुल्क,

(ई) प्रकाशनों की बिक्री द्वारा।

(2) अखिल भारतीय पंचायत परिषद का कोष चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा तथा तीन हस्ताक्षरियों में से दो हस्ताक्षरी द्वारा उसमें से पैसे निकाले जा सकेंगे तथा यह राशि उन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यय की जायेगी जो अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट किये गये हैं और जिसके सम्बंध में कार्यसमिति ने निर्णय लिया है।

(3) अ0 भा0 पं0 प0 की सम्पूर्ण सम्पत्ति, अ0 भा0 पं0 प0 के अधिकार में ही रहेगी।

(4) अ0 भा0 पं0 प0 की सम्पत्ति, चाहे वह चल हो अथवा अचल, जिसके अन्तर्गत सब प्रकार की संचय, निधि शेयर तथा प्रतिभूतियां तथा अन्य परिसम्पत्तियों हों, अ0 भा0 पं0 प0 के नाम में रखी जायेगी और वह कार्य समिति के नियंत्रण, निरीक्षण तथा संरक्षण में रहेगी। अ0 भा0 पं0 प0 को न्यासी मानकर अथवा अन्य किसी प्रकार से ो सम्पत्ति अ0 भा0 पं0 प0 के प्रति समर्पित अथवा हस्तान्तरित होगी उसके विषय में भी यही नियम लागू होगा।

(5) अ0 भा0 पं0 प0 की जो भी चल अथवा अचल सम्पत्ति है अथा जो सम्पत्ति न्यासी के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से अ0 भा0 पं0 प0 के नियंत्रण में है उसके बिक्रय, हस्तान्तरण अथवा अन्य प्रकार के सौदों के सम्बंध में जो भी आदान– प्रदान, संलेख अथवा संविद अ0 भा0 पं0 प0 की ओर से किये जायेंगे वे उन पदाधिकारियों द्वारा निष्पादित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, विन्यस्त अथवा सम्पादित होंगे जिनको समय–समय पर कार्यसमिति इस काम के लिए नियुक्त करेगी। अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर, द्वारा जिस भी पदाधिकारी को जो कोई भी संलेख अथवा पत्र अथवा संविद अथवा हस्तान्तरण आचरित करने, तैयारी करने, हस्ताक्षर करने, विन्यस्त करने अथवा सम्पादित करने का अधिकार देंगे वह इस अनुच्छेद के अन्तर्गत पर्याप्त माना जाएगा। ऐसे प्रत्येक अधिकार– पत्र में यह लिखा होना चाहिए कि अधिकार– पत्र कार्यसमिति की सहमति से दिया गया है और जिस पदाधिकारी

को वह अधिकार–पत्र दिया गया है वह उस अधिकार पत्र में उल्लिखित विशेष अधिकारों का उपभोग कर सकता है। अ0 भा0 पं0 प0 को जो भी आय होगी उसके सम्बंध में उस मंत्री अथवा पदाधिकारी की रसीद, जिसको समय–समय पर इस काम के लिए कार्यसमिति ने नियुक्त किया हो, पक्की मानी जाएगी और जिस पक्ष की ओर से वह आय हुई है, उसके लिए वह रसीद पर्याप्त समझी जाएगी।

(6) अ0 भा0 पं0 प0 को इस विषय में स्वाधीनता रहेगी कि वह अपने किसी भी अतिरिक्त कोष को उन न्यास–पत्रों में विनियुक्त करे जो कि इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट द्वारा प्रमाणित हों, अथवा ऐसी भू सम्पदा के क्रय में लगाए जो कि समय–समय पर कार्यसमिति द्वारा निर्णित हो।

(7) उस सम्पत्ति के अतिरिक्त जो कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अ0 भा0 पं0 प0 को समर्पित की गई हो और जिसके विषय में विशेष नियम निर्दिष्ट हों (यदि इस प्रकार की कोई सम्पत्ति हो तो) कार्यसमिति को यह अधिकार होगा कि वह अ0 भा0 पं0 प0 की किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति के सम्बंध में विक्रय अथवा न्यास अथवा पट्टा अथवा निपेक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार कोई भी आदान–प्रदान करे। विशेष सम्पत्ति का आदान–प्रदान निर्दिष्ट नियमों के प्रतिकूल नहीं हो सकेगा। अ0 भा0 पं0 प0 के समस्त संलेख, लेख, न्यास, संविद और हस्तान्तरण, जिसका सम्बंध उस संपत्ति से है जो कि विक्रय की गई है अथवा न्यस्त हुई है अथवा किसी अन्य प्रकार से व्यवहार में आई है, उपधारा 3 में दिए हुए नियमों के अनुसार आचरित होंगे।

<u>अनुच्छेद 9</u>

<u>वित्तीय वर्ष</u> – अ0 भा0 पं0 प0 का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा।

<u>अनुच्छेद 10</u>

<u>अ0 भा0 पं0 प0 की ओर से अथवा इसके विरूद्ध चलाये जाने वाले मुकदमें :</u>

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत अ0 भा0 पं0 प0 के महामंत्री ही वे पदाधिकारी होंगे जो अ0 भा0 पं0 प0 की ओर से मुकदमों की सारी कार्यवाही करेंगे।

अनुच्छेद 11

(1) यह संविधान साधारण सभा के अधिवेशन द्वारा ही संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। किन्तु अ0 भा0 पं0 महा0 को यह अधिकार रहेगा कि वह साधारण सभा की अनुपस्थिति में इस संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अतिरिक्त अन्य किसी भी अनुच्छेद को कार्यसमिति की कामना के अनुसार संशोधित अथवा परिवर्तित कर दे। इस प्रसंग में यह प्रतिबन्धन रहेगा कि अ0 भा0 पं0 महा0 इस प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन अपनी बैठक में करेगी जो इस विशेष कार्य के लिए आहूत हुई हो और जिसमें समवेत होने के एक मास पूर्व उसके प्रत्येक सदस्य को प्रस्तावित परिवर्तनों के विषय में सूचना दे दी गई हो ऐसी विशेष बैठकों में भी, उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत के बिना संशोधन अथवा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अ0 भा0 पं0 महा0 के द्वाारा इस प्रकार किए गये समस्त परिवर्तन साधारण सभा की आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेंके। किन्तु कार्यसमिति की इच्छानुसार वे परिवर्तन अनुमोदन के पूर्व ही उस तिथि से लागू हो सकेंगे जिसका निर्णय कार्य–समिति ने किया हो।

(2) अ0 भा0 पं0 महा0 को यह अधिकार रहेगा कि वह प्रथम अनुच्छेद के अतिरिक्त संविधान के किसी भी अंग में से किसी भी विरोधाभास को आवश्यकतानुसार दूर कर दें।

परिशिष्ट

अनुच्छेद 12

राज्य पंचायत परिषद तथा राज्य पंचायत संघ संगठन सम्बन्धी निर्देशात्मक सिद्धांत :
जिस राज्य में राज्य पंचायत परिषद नहीं है अर्थात् जहां पंचायती राज संस्थाओं का गैर सरकारी संगठन नहीं है, वहां उसको नियमानुसार गठित किया जा सकता है–

(1) रा.पं.प. – अखिल भारतीय पंचायत परिषद समस्त राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में राज्य पंचायत परिषद गठित करेगी जिनके मुख्य कार्यालय उन स्थानों पर रहेंगे जो अ. भा. पंचायत परिषद की कार्यसमिति तथा राज्य पंचायत परिषद के बीच परस्पर परामर्श द्वारा निर्मित हों

(2) जिला पंचायत परिषद तथा प्रखण्ड पंचायत परिषद – राज्य पंचायत परिषद उन प्रदेशों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में जिलाा पंचायत परिषदों और प्रखंड पंचायत परिषद का संगठन खड़ा करेगी।

(3) रा.पं.प. के अंग– किसी भी राज्य पंचायत परिषद के निम्नलिखित अंग होंगे।

(अ) साधारण सभा,

(आ) कार्यसमिति और महासमिति,

(इ) सदस्य संस्थाएं (जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत)।

(4) रा.पं.प. की साधारण सभा – किसी भी राज्य पंचायत परिषद की साधारण सभा का गठन निम्नलिखित होगा :

(अ) प्रत्येक जिला से आने वाला एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें :

(क) जिले के अन्तर्गत प्रत्येक खंड की समस्त ग्राम पंचायतों का 1/5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा ।

(ख) जिले के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति का एक प्रतिनिधि रहेगा

(ग) जिला परिषद के अंतर्गत उस जिले की प्रखण्डों की पूर्ण संख्या का 1/4 प्रतिशत प्रतिनिधि रहेंगे।

(आ) वे सदस्य जिनको पंचायती काम करने वाले लोगेां के बीच से लेकर राज्य पंचायत परिषद के साथ सहवरित कर लिया है, किन्तु ऐसे सहवरित सदस्यों की संख्या उस राज्य पंचायत परिषद की पूर्ण सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) रा.पं.परिषद के अधीन आंचलिक पंचायत परिषदें – राज्य पंचायत परिषद संभागों अथवा सुनिश्चित प्रदेशों के स्तर पर संभागीय और क्षेत्रीय परिषदें बना सकती हैं, बशर्ते कि इनकी आबादी या क्षेत्रफल अधिक हो अथवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिस्थितियां बहुत भिन्न हों अथवा ऐसे संगठन बनने के लिए कुछ अपर्याप्त कारण हो। ऐसी आंचलिक पंचायत परिषदों का गठन जिला और खण्ड के बीच (अनुमण्डलीय स्तर पर) किया जा सकेगा, किन्तु आंचलिक पंचायत परिषदें गठित करने के लिए अखिल भारतीय पंचायत परिषद की अनुमति आवश्यक होगी।

(6) <u>सम्बद्धता</u>

(अ) <u>ग्राम पंचायत</u> – प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रखंड पंचायत परिषद को प्रतिवर्ष 100/– सम्बद्धता शुल्क देकर सदस्यता प्राप्त होगी।

(आ) <u>प्रखंड पंचायत परिषद</u> – प्रत्येक प्रखण्ड पंचायत परिषद जिला पंचायत परिषद को प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत से प्राप्त कुल सम्बद्धता शुल्क का 40 प्रतिशत राशि जिला पंचायत परिषद को देगी जिसकी न्यूनतम राशि 500/–होगीं

(इ) जिला पंचायत परिषद – प्रत्येक जिला पंचायत परिषद प्रतिवर्ष प्रखण्ड पंचायत परिषद से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क का 30 प्रतिशत राशि राज्य पंचायत परिषद को देगी जिसकी न्यूनतम राशि 2,000/– होगा ।

(ई) राज्य पंचायत परिषद – राज्य पंचायत परिषद को अखिल भारतीय पंचायत परिषद से सम्बद्ध होने के लिए प्रतिवर्ष कुल प्राप्त सम्बद्धता शुल्क की 20 प्रतिशत

राशि अखिल भारतीय पंचायत परिषद को भुगतान करना होगा। सम्बद्धता शुल्क की न्यूनतम राशि रूपये 5,000/– होगी।

(7) <u>सदस्यता</u>

सभी स्तर पर गठित पंचायत परिषद के सदस्यों को सदस्यता शुल्क की निम्न निर्धारित राशि प्रतिवर्ष सम्बंधित पंचायत परिषद को देना होगा`

(अ) <u>ग्राम पंचायत</u> – ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियें को प्रखण्ड पंचायत परिषद की महासमिति (कौंसिल) की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रखण्ड पंचायत परिषद को प्रतिवर्ष 50/– सदस्यता शुल्क के रूप में देना होगा।

(आ) <u>प्रखण्ड पंचायत परिषद</u> – प्रखण्ड पंचायत परिषद के प्रतिनिधि को जिला पंचायत परिषद की महासमिति की सदस्यता के लिए प्रत्येक वर्ष 100/– सदस्यता शुल्क के रूप में जिला पंचायत परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा।

(इ) <u>जिला पंचायत परिषद</u> – जिला पंचायत परिषद के उन सभी सदस्यों को जिनका नाम राज्य पंचायत परिषद की महासमिति में लिया गया है, उन्हें सदस्यता प्राप्ति हेतु प्रत्येक वर्ष सदस्यता शुल्क के रूप में 200/– राज्य पंचायत परिषद को भुगतान करना होगा।

(ई) राज्य पंचायत परिषद – राज्य पंचायत परिषद से अखिल भारतीय पंचायत परिषद की महासमिति के लिए जिन सदस्यों का नाम प्रस्तावित किया जाता है, उन सदस्यों को अ. भा. पं. परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 500/– रूप्ये सदस्यता शुल्क के रूप् में अ. भा. पं. परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा।

<u>टिप्पणी</u> – जिन राज्यों में राज्य पंचायत परिषद पूर्व से ही मान्यता प्राप्त संस्था के रूप् में कार्य कर रही है और उनका अपना संविधान बना हुआ है वैसे राज्य पंचायत परिषदें भी अ0 भा0 पं0 प0 से समंजस्य के अनुसार स्थापित कर अ0 भा0 पं0 प0 के संविधान के अनुसार शुल्क जमा कराकर सदस्यता प्राप्त कर सकेंगी और पंचायतीराज के उत्थान के लिए कार्य करेंगी।

(8) <u>लक्ष्य एवं उद्देश्य</u> – सभी स्तरों पर गठित पंचायत परिषदें अखिल भारतीय पंचायत परिषद के उद्देश्यों के अनुरू‌प उससकी पूर्ति के लिए कार्य करेंगी जिनमें पंचायती राज संस्थाओं को एक सर्वसामान्य विचार स्थल पर एकत्र कर पंचायती राज के प्रसंग में जनमत को शिक्षित करना, ग्रामीण समाज में सामुदायिक हित, स्वावलम्बन तथा पारस्परिक सहायता की भावना का विकास करना, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व की समुचित भावना को जगाना, पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की की व्यवस्था करना और इसके लिए प्रशिणालय अथवा प्रतिष्ठान स्थापित या संचालित करना, ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर अध्यक्ष व शोध का प्रबंध करना, सर्वेक्षण, मूल्यांकन की योजनाएं चलाना, पत्र–पत्रिकाएं, पुस्तक–पुस्तिकाएं आइिद का प्रकाशन, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम जैसे– बाल कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण, पर्यावरण सुधार, कुटीर–उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा, लोक संस्कृति विकास एवं 73वें संशोधन के पश्चात 11वीं अनुसूची में वर्णित सभी कार्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करना।

(9) <u>निर्वाचन</u>

प्रखंड (ब्लॉक) स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर गठित पंचायत परिषदों के पदाधिकारियों का निर्वाचन उसके कौंसिल के सदस्यों के द्वारा किया जायेगा और सभी निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। किन्तु इसके निर्वाचन में वही सदस्य भाग लेंगे जिनका उपरोक्त वर्णित सम्बद्धता व सदस्यता शुल्क सम्बंधित पंचायत परिषद कार्यालय में जमा होगा। यह निर्वाचन नियमावली के अनुसार अखिल भारतीय पंचायत परिषद द्वारा भेजे गये पर्यवेक्षक की देखरेख में सम्पन्न होगा।

(10) परिषद धर्म, राजनीति, क्षेत्रीयता, जातियता, भाषा,पृथकतावादी भावना से हटकर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सबल व सुदृढ़ करने की भावना से सभी स्तर पर कार्य करेगी।

दिल्ली के केन्द्र–प्रशासित क्षेत्र में लागू होने वाले सन् 1890 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 (पंजाब संशोधन एक्ट 1957) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र

सं. ....एस0 1735 वर्ष 1960–61

मैं प्रमाण पत्र देता हूँ कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद आज के दिन दिल्ली के केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में लागू होने वाले सन् 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 (पंचायत संशोधन एक्ट 1957) के अन्तर्गत रिजस्टर्ड हो गई है।

इसे मैंने अपने हाथ से दूसरी जनवरी सन् उन्नीस सौ इकसठ के दिन दिल्ली में दिया। 50/–रूपये शुल्क के रूप में प्राप्त हुए।

रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज
दिल्ली
का
मुद्रांकन

हस्ताक्षर
एम0 एल0 धवन
रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज
दिल्ली

....